प्रेस नोट
जनपद सोनभद्र
दिनांक-06.11.2025

जनपद सोनभद्र पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लुटेरी दुल्हन गैंग पकड़ी गई, नकली शादी कर करती थी लूट।

थाना म्योरपुर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन, उसकी माँ व पति को किया गिरफ्तार, लूट के जेवर-नकदी बरामद ।

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) श्री त्रिभुवननाथ त्रिपाठी के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी दुद्धी श्री राजेश कुमार राय के कुशल निर्देशन में, थानाध्यक्ष म्योरपुर श्री कमल नयन दूबे के नेतृत्व में थाना म्योरपुर पुलिस टीम द्वारा "लुटेरी दुल्हन गैंग" का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया गया। पुलिस टीम ने **एक महिला जिसका नाम रानी कुमारी व उसकी मां एवं पति जिनका नाम क्रमश: माया देवी पत्नी स्व0 राजेन्द्र घसिया, रवि रंजन मौर्या पुत्र नथुनी मौर्या को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट के ₹9500 नगद, एक सोने का मंगलसूत्र, एक जोड़ी चाँदी की पायल तथा विवाह के समय पहना गया लाल जोड़ा (साड़ी सहित वस्त्र)** बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः–

पीड़ित रमेश कुमार पुत्र अजुबा राम निवासी पोसाना, हाल निवास आसाना, जिला जालौर (राजस्थान) द्वारा आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से की गई शिकायत के आधार पर थाना म्योरपुर पर मु0अ0सं0 143/25 धारा 316(2), 318(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों एवं पीड़ित के बयान के आधार पर अभियोग में 309(1), 115(2), 352, 351(3) एवं 317(2) धाराओं की वृद्धि की गई।

आज दिनांक 06.11.2025 को मुकदमे से संबंधित अभियुक्तगण रानी कुमारी पत्नी रवि रंजन, पुत्री राजेन्द्र, निवासी सुपाचुआ, थाना म्योरपुर, जनपद सोनभद्र (उम्र लगभग 23 वर्ष), माया देवी पत्नी स्व0 राजेन्द्र घसिया, निवासी सुपाचुआ, थाना म्योरपुर, जनपद सोनभद्र (उम्र लगभग 50 वर्ष), रवि रंजन मौर्या पुत्र नथुनी मौर्या, निवासी मुण्डीसेमर, थाना विण्ढमगंज, जनपद सोनभद्र (उम्र लगभग 26 वर्ष) को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरणः–

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण ने बताया कि वे लोग एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते हैं। गिरोह का सदस्य कृष्णा मौर्या अपने साथियों के माध्यम से विवाह हेतु वर पक्ष से संपर्क करता है, जिससे मोटी रकम वसूली जाती है। इसके बाद नकली विवाह कर दुल्हन के रूप में महिला (रानी) उसका सामान एवं जेवरात लूट लेती है तथा

डर-धमका कर उसको भगा देती है। अधिकांश मामलों में पीड़ित दूर राज्यों से आने वाले होते हैं, जो संकोच या दूरी के कारण शिकायत दर्ज नहीं करा पाते, जिससे गिरोह आसानी से बच निकलता है।
अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उन्होंने 29.10.2025 को भी इसी तरह की वारदात की थी और लूटे गए जेवर बेचने के लिए रॉबर्ट्सगंज जा रहे थे। लूट की रकम लगभग ₹1.5 लाख थी, जिसमें से अधिकांश पैसा कृष्णा मौर्या के पास है। गिरोह का मुख्य सरगना कृष्णा मौर्या तथा रानी की माँ माया देवी हैं। रानी पूर्व से शादीशुदा महिला है और रवि रंजन की पत्नी है। इनके पूर्व में किए गए अन्य अपराधों की जानकारी एकत्र की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. रानी कुमारी पत्नी रवि रंजन, पुत्री राजेन्द्र, निवासी सुपाचुआ, थाना म्योरपुर, जनपद सोनभद्र (उम्र लगभग 23 वर्ष)
2. माया देवी पत्नी स्व0 राजेन्द्र घसिया, निवासी सुपाचुआ, थाना म्योरपुर, जनपद सोनभद्र (उम्र लगभग 50 वर्ष)
3. रवि रंजन मौर्या पुत्र नथुनी मौर्या, निवासी मुण्डीसेमर, थाना विण्ढमगंज, जनपद सोनभद्र (उम्र लगभग 26 वर्ष)

वांछित अभियुक्तगणः–

01.कृष्ण कुमार मौर्या पुत्र रणजीत मौर्या, निवासी ग्राम भैरवा गोबर बहुआरा, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
02.राजू माली पुत्र अज्ञात, मोबाइल नं0 9898976176।

बरामदगी का विवरणः–

- एक अदद पीली धातु का मंगलसूत्र
- एक जोड़ी सफेद धातु (चाँदी) की पायल
- ₹9500/- नगद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः–

01.उ0नि0 कमल नयन दूबे, थानाध्यक्ष म्योरपुर
02.उ0नि0 मनोज कुमार सिंह, थाना म्योरपुर
03.हे0का0 प्रमोद कुमार यादव, थाना म्योरपुर
04.का0 मनोज कन्नौजा, थाना म्योरपुर
05.म0का0 सोनम कुमारी, थाना म्योरपुर
06.का0 रामजीत बिन्द, थाना म्योरपुर

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा इस प्रकार की संगठित आपराधिक गिरोहों के विरुद्ध लगातार प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।